पेंशन



2. सामान्यतः सरकारी सेवकों के विरुद्ध निम्न प्रकार के मामले लम्बित होते हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के मामलों में निम्नवत् कार्यवाही की जाय :—

(क) **यदि सरकारी सेवक द्वारा सरकारी भवन में आवास किया जा रहा हो.**—1. कार्यालयाध्यक्ष, उच्च अधिकारी अथवा पैतृक विभाग, जैसी स्थिति हो, द्वारा सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व लखनऊ में स्थित भवनों के सम्बन्ध में राज्य सम्पत्ति विभाग को तथा विभिन्न जिलों में निर्मित भवनों के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति की तिथि से अवगत कराकर अदेयता प्रमाणपत्र की मांग की जायेगी। राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा जिलों के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व उससे पहले की अवधि के सम्बन्ध में अदेयता प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया जायेगा। यदि ऐसा प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त किराये की मासिक दर में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर हो अथवा किसी अन्य धनराशि की देयता के सम्बन्ध में तथ्य प्रकाश में आये तो राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उस परिवर्तन/तथ्य से पेंशन स्वीकृता अधिकारी को सीधे अवगत कराया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि सम्बन्धित सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के अन्तिम आठ माहों के वेतन से किराये की नियमित रूप से वसूली हो जाय। यदि किसी सरकारी सेवक के वेतन से सेवानिवृत्ति के पूर्व इस प्रकार के किराये की वसूली सम्भव न हो सके तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शेष धनराशि पेंशन स्वीकृता अधिकारी को सूचित कर दी जायेगी जिससे सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से उसकी वसूली की जा सके।

2. सरकारी भवनों में निवास करने वाले सरकारी सेवकों से यह आशा की जाती है कि वे सरकारी भवनों को सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद खाली कर दें किन्तु यदि राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग सरकारी सेवक से उसकी सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद भवन खाली न करा पाये तो सेवानिवृत्ति के बाद के चार माह का किराया (एक माह का किराया सामान्य दर पर तथा शेष तीन माह का किराया मानक दर पर) पेंशनर की देय ग्रेच्युटी से वसूल कर लिया जायेगा और उससे आगे के किराये की वसूली अथवा भवन खाली कराने की जिम्मेदारी राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सम्बन्धित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता की होगी।

3. सम्बन्धित सरकारी सेवक के सेवारत मृत्यु होने पर कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे उससे सम्बन्धित सूचना राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को मृत्यु के एक सप्ताह के भीतर भेज दें और उनसे एक माह के भीतर देयों की सूचना की जानकारी देने का अनुरोध करें। यदि ऐसी सूचना एक माह के भीतर प्राप्त न हो सके तो पारिवारिक पेंशन प्रपत्रों के अग्रसारण में विलम्ब न किया जाय और उन्हें स्वीकृता अधिकारी को पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करने हेतु एक माह की समाप्ति के बाद तुरन्त भेज दिया जाय। इस बीच मृतक के परिवार को असुविधा से बचाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या सा-3-1667/दस-931-87, दिनांक 9-6-1987 के अन्तर्गत अनुमन्य अनन्तिम पारिवारिक पेंशन तथा इस शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी जाय।

(ख) **सरकारी भवन के अतिरिक्त अन्य देयों के सम्बन्ध में कार्यवाही.**—1. सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 470 बी में यह प्रावधान है कि किसी सरकारी सेवक की पेंशन स्वतः देय नहीं होती जब तक कि उसकी सेवा पूर्णतः सन्तोषजनक न पायी गयी हो। शासनादेश दिनांक 13-12-1977 में यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रावधान का सहारा केवल अपवादस्वरूप मामलों में ही लिया जायेगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि पेंशन सम्बन्धी समस्त मामलों को विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेजा जाय। उक्त शासनादेश में यह प्रावधान कर दिया गया था कि सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले पेंशन प्रपत्र अग्रसारण करने वाले अधिकारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी से इस तथ्य की पूछताछ की जायेगी कि क्या पूर्ण पेंशन मंजूर करने के बजाय कम पेंशन देने का विचार है अथवा कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने का विचार है। उक्त शासनादेश में यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी से ऐसी पूछताछ का उत्तर प्राप्त न हो तो यह मान लिया जायेगा कि पूरी पेंशन से कम धनराशि स्वीकृत करने की कोई मंशा नहीं है और पेंशन प्रपत्रों को स्वीकृता अधिकारी को भेज दिया जायेगा। उपरोक्त

प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में अब यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह कार्यवाही सेवानिवृत्ति के आठ माह पहले की जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे वांछित सूचना एक माह के भीतर उपलब्ध करा दें। यदि नियुक्ति प्राधिकारी से एक माह के भीतर ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो और आगे प्रतीक्षा किये बिना कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे पेंशन प्रपत्र पूर्ण पेंशन स्वीकृति करने हेतु अग्रसारित कर दें।

2. सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351-ए में यह प्रावधान है कि यदि कोई सरकारी सेवक किसी विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप जाने-अनजाने राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाने का अथवा किसी अन्य गम्भीर दुराचरण का दोषी पाया गया हो अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप दण्डित किया गया हो तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह उसकी पूरी अथवा आंशिक पेंशन रोक सकते हैं। ऐसी विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही तब तक प्रारम्भ हुई नहीं मानी जाती है जब तक सरकारी सेवक को आरोपपत्र न दे दिया गया हो। अतः यदि उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी है तो इस नियम के अन्तर्गत किसी भी सरकारी सेवक की पेंशन न तो रोकी जा सकती है और न ही कम की जा सकती है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है अथवा पूर्ण नहीं की गयी है तो उसकी पेंशन रोकने का कोई औचित्य नहीं है और उसके पेंशन प्रपत्र स्वीकृता अधिकारी को भेजकर उसे पूर्ण पेंशन स्वीकृत करवा दी जायेगी। केवल सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से ऐसे देयों की वसूली की जायेगी जिनकी स्थिति सेवानिवृत्ति के दिनांक तक स्पष्ट हो चुकी हो।

3. ऐसे सरकारी सेवकों को, जिनके विरुद्ध, सेवानिवृत्ति के दिनांक को, विभागीय/न्यायिक अथवा प्रशासनाधिकरण की जांच चल रही हो अथवा प्रशासनाधिकरण की जांच किया जाना अपेक्षित हो शासनादेश संख्या सा-3-1679/दस-80-909-79, दिनांक 28-10-1980 के अनुसार अनन्तिम पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा किन्तु ग्रेच्युटी की पूर्ण धनराशि तब तक रोकी जायेगी जब तक ऐसी जांच का परिणाम प्राप्त न हो जाय। ग्रेच्युटी की धनराशि से वह कटौतियां की जायेंगी जिनका उल्लेख विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप पारित आदेश में किया गया हो। इस प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकृत अनन्तिम पेंशन को अन्तिम रूप से स्वीकृत होने वाली पेंशन से समायोजित कर लिया जायेगा किन्तु यदि अंतिम रूप से स्वीकृत होने वाली पेंशन की राशि अनन्तिम पेंशन से कम हो अथवा पेंशन स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये कम कर दी जाय या अस्थगित की जाय तो सरकारी सेवक से कोई वसूली नहीं की जायेगी। यह प्रावधान अन्य सामान्य मामलों में जहां अनन्तिम पेंशन की धनराशि अन्तिम पेंशन की धनराशि से आगणन की त्रुटि अथवा अन्यथा किसी अन्य कारण से अधिक पायी जाय, लागू नहीं होगा। इस प्रकार के मामलों में अधिक भुगतान की गयी धनराशि अन्तिम पेंशन की धनराशि से समायोजित कर ली जावेगी। इस हेतु यदि पेंशनर अपनी पेंशन से एकमुश्त अथवा मासिक कटौती करवाने पर आपत्ति करे तो वांछित रिकवरी राहत की धनराशि से कोई विधिक अड़चन नहीं है।

4. सतर्कता जांच "फैक्ट फाइंडिंग इन्क्वायरी" होती है अतः सेवानिवृत्ति के दिनांक को उसके लम्बित रहने पर पेंशन तथा ग्रेच्युटी नहीं रोकी जायेगी।

5. मृत्यु होने की दशा में चूंकि सम्बन्धित सरकारी सेवक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है और चूंकि एकतरफा कार्यवाही विधिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं कही जा सकती अतः मृत्यु के दिनांक को ऐसी विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त हुई समझी जायेगी।

6. सार्वजनिक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग में प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रत्येक राजपत्रित सरकारी सेवक के बारे में पेंशन स्वीकृत होने के पूर्व जांच लम्बित न होने का प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की प्रथा प्रचलित है जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब होता है। इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि प्रत्येक मामले में ऐसा प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना आवश्यक न रखा जाय। वरन उसके स्थान पर इन विभागों के सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष के स्तर से व्यक्तिगत रूप से सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व यह जानकारी कर लें कि सम्बन्धित सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच लम्बित है अथवा नहीं। प्रशासकीय विभाग प्रत्येक त्रैमास के अन्त में

विभाग एवं विभागाध्यक्ष को भी सूचित करेंगे। पेंशन अदालत के संबंध में स्थानीय समाचार-पत्रों एवं दूरदर्शन के माध्यम से एवं रेडियो के माध्यम से प्रचार करवायेंगे। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ऐसे प्रार्थना पत्रों को उनके सम्पूर्ण विवरण सहित नोडल अधिकारी अर्थात् पेंशन निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एक सप्ताह के अन्दर संदर्भित करेंगे। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के मामले अदालत में सुने जायेंगे उन पेंशनरों को अदालत की बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दे दी जायेगी। इसकी सूचना संबंधित पेंशनर के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को भी दी जायेगी, जो पेंशन अदालत में सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे।

पेंशन निदेशक विभिन्न जनपदों में लम्बित पेंशन प्रकरणों को देखते हुए एवं आवश्यकतानुसार पेंशन अदालत लगाए जाने के संबंध में माह एवं तिथि प्रस्तावित तिथि सहित अपना प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करेंगे तथा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अदालतों का स्थान/तिथि एवं समय की घोषणा की जाएगी जिससे कि पेंशन अदालत गठित किए जाने के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके।"

अतः सेवानिवृत सेवक या पेंशनर पेंशन स्वीकृति, पेंशन के त्रुटिपूर्ण निर्धारण, पेंशन-पुनरीक्षण आदि पेंशन संबंधी शिकायत के संबंध में अपना प्रत्यावेदन पेंशन अदालत को संदर्भित कर सकता है। इसके लिए पूर्वोक्त शासनादेश में विहित प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

**(vi) अनुशासनिक जाँच लम्बित होने पर अनन्तिम पेंशन.**—सिविल सेवा विनियमावली के अनुच्छेद-351-क में उपबन्ध है कि अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करके या अन्यथा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनिक अधिकरण में कोई जाँच, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि को लम्बित हो, अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त संस्थित की जानी हो, तब अनुच्छेद-919-क के उपबन्ध के अनुसार उसे अनन्तिम पेंशन स्वीकृत किया जा सकता है। यह अनुच्छेद अधिसूचना संख्या-जी-3-379/X-909/79, दिनांक 19 जुलाई, 1983 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है तथा दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 की पूर्वगामी तिथि से इसे प्रवृत्त किया गया है।

अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने के विषय में शासनादेश दिनांकित 28 अक्टूबर, 1980 द्वारा कार्यकारी निदेश निर्गत किये गये थे। यह शासनादेश निम्नवत है :—

**शासनादेश संख्या 3-1679/दस-80-909-79 दिनांक 28 अक्टूबर, 1980**

**"विषय : सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जाँच चल रही हो, को अनन्तिम पेंशन का भुगतान।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के पेंशन संबंधी वर्तमान नियमों में अभी तक इस आशय का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है कि सेवानिवृत्ति के दिनांक को, अथवा सेवानिवृत्त होने के उपरान्त यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय न्यायिक कार्यवाही अथवा, प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच जारी हो अथवा जारी किया जाना अपेक्षित हो तो क्या उसे पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभ देय होंगे या नहीं ? उक्त स्थिति में सामान्यतः अपनाये गये दृष्टिकोण और प्रयुक्त प्रक्रिया के अनुसार जबं तक उस कार्यवाही अथवा जाँच का परिणाम प्राप्त न हो जाय तब तक संबंधित सेवक को कोई पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है। उक्त कार्यवाहियों और जांच के पूरी होने और फिर आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर अन्तिम निर्णय लेने में अधिक समय भी लग सकता है और उस दशा में संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्षों तक सेंवानैवृत्तिक लाभों से वंचित रहता है जिससे उसे काफी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में कार्यवाही या जांच के परिणामस्वरूप कर्मचारी निर्दोष पाया जा सकता है। इस प्रसंग में आपका ध्यान शा०अ०सं० सा-3-2085/दस-907/76, दिनांक 13-12-1977 की ओर भी आकर्षित करना है जिसमें ऐसे मामले में, जिनमें पेंशन ग्रेच्युटी की स्वीकृति और कागजात तैयार करने की कार्यवाही निर्धारित समय में पूरी न हो

सके, अनन्तिम पेंशन व आनुतोषिक दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे। इन आदेशों का लाभ भी उपर्युक्त कार्यवाही अथवा जांच के मामलों में नहीं मिल पाता है।

2. इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त तथा इस बात को देखते हुए कि राज्य में प्रयुक्त नियमों और आदेशों के अन्तर्गत सामान्यतः सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन तथा ग्रेच्युटी के अन्तिम रूप से निर्धारित न हो सकने पर अन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है, श्री राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों को, जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, अनन्तिम पेंशन का भुगतान अधिकृत कर दिया जाय, किन्तु ग्रेच्युटी का भुगतान किसी भी दशा में उक्त कार्यवाही या जांच पूरी होने और अन्तिम निर्णय होने के पूर्व न किया जायगा ग्रेच्युटी की धनराशि से वह कटौतियां की जायेंगी जिनका उल्लेख विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही इत्यादि के फलस्वरूप पारित आदेश में किया गया हो। ऐसे मामलों में अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति निम्न व्यवस्था के अधीन देय होगी—

(1) अनन्तिम पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी जो उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक और यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तिथि को निलम्बित हो तो उसके निलम्बन के ठीक पहले की तिथि तक की अर्हकारी सेवाकाल के अनुसार अनुमन्य होती हो,

(2) यह पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से उस दिनांक तक मिलेगी जब कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही जांच पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित करा दिये जायं, तथा

(3) इस अनन्तिम पेंशन का, कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त अन्ततः कर्मचारी को स्वीकृत होने वाली पेंशन में समायोजन कर लिया जायेगा किन्तु यदि अन्तिम रूप से स्वीकृति होने वाली पेंशन की राशि अनन्तिम पेंशन से कम हो अथवा पेंशन स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये कम कर दी जाय या अस्थगित की जाय, तो कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त व्यवस्था तुरन्त प्रभावी मानी जायेगी तथा पेंशन संबंधी नियम तद्नुसार संशोधित समझे जायेंगे और औपचारिक संशोधन बाद में यथासमय किये जायेंगे।

4. कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।"

अतः उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को, अनुशासनिक जाँच के निम्नलिखित मामलों में, अनंतिम पेंशन स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है :—

(1) यदि उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित हो, या

(2) उसके विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो, या

(3) उसके विरुद्ध प्रशासनिक अधिकरण में कोई जाँच लम्बित हो, या

(4) उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त ऐसी जाँच या कार्यवाही संस्थित की जानी हो।

उपर्युक्त अनंतिम पेंशन, सिविल सेवा विनियमावली के अनुच्छेद-919-क के उपबन्धों के अनुसार स्वीकृत की जाएगी। अनुच्छेद-919-क में इस आशय का उपबन्ध है कि,

"(1) सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अर्हकारी सेवा के आधार पर उसे अनुमन्य अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन विभागाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। यदि वह सेवक सेवानिवृत्ति की तिथि को निलम्बित रहा हो तो निलम्बित किये जाने की तिथि के ठीक पूर्ववर्ती तिथि तक की अर्हकारी सेवा के आधार पर उसे अनुमन्य अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन. विभागाध्यक्ष द्वारा, प्राधिकृत किया जा सकता है।

रु० 1,00,000 की धनराशि वसूल/कटौती करके उसे अवशेष रु० 1,50,000 का भुगतान कर दिया जाएगा। यह तथ्य उसे संसूचित भी कर दिया जाएगा।

**4. उपदान का भुगतान विलम्ब से होने की दशा में ब्याज.**—सरकारी सेवक को उपदान का भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन मास के अन्दर कर दिया जाना चाहिए। तीन मास की अवधि के उपरान्त उपदान की धनराशि का भुगतान करने पर सेवानिवृत्त सेवक को उपदान की धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा। यह ब्याज सिर्फ उन्हीं मामलों में दिया जाएगा जहां उपदान के भुगतान में निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हुआ हो—

(1) प्रशासनिक त्रुटि के कारण, अथवा

(2) ऐसा कारण जो संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्रण के बाहर हो।

जिन मामलों में सेवानिवृत्ति के समय सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाही लम्बित होने या चलाये जाने के कारण उपदान का भुगतान न किया जाए तथा उस कार्यवाही के समाप्त होने एवं अन्तिम निर्णय के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस सेवक को उपदान का भुगतान करने की अनुज्ञा दे दी जाए तो उन मामलों में उपदान के भुगतान में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में ब्याज के भुगतान के प्रयोजनार्थ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि से उपदान देय हुआ माना जाएगा किन्तु उपर्युक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाए तो उपदान के भुगतान में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में ब्याज के भुगतान के प्रयोजनार्थ, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि की अगली तिथि को उपदान देय होने की तिथि माना जाएगा।

जिन मामलों में उपर्युक्त कार्यवाही, संबंधित सेवक की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण, समाप्त कर दी जाए उनमें ब्याज की गणना के लिए उपदान की देयता की तिथि से तीन मास बाद की अवधि विचार में ली जाएगी। इस विषय में शासनादेश संख्या-सा-3-664/दस-971/80, दिनांक 29 अप्रैल, 1983 द्वारा निम्नलिखित कार्यकारी निदेश निर्गत किये गये हैं :—

**शासनादेश संख्या-सा-3-664/दस-971/80, दिनांक 29 अप्रैल 1983**

**"विषय : डेथ-कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की देर से अदायगी किये जाने पर ब्याज का भुगतान।**

महोदय,

सरकारी कर्मचारियों की सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन नियमों की व्यवस्था के अनुसार डेथ-कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी देय होती है। विभिन्न कारणों से कई प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब हो जाता है और उन प्रकरणों में ग्रेच्युटी के भुगतान में अधिक विलम्ब हो जाने पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लिया है कि मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के देय हो जाने के बाद तीन महीने से आगे की अवधि के लिये देर से अदायगी किये गये उपदान (ग्रेच्युटी) पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जायेगा। यह ब्याज उस महीने के पूर्ववर्ती महीने के अन्त तक देय होगा जिसमें वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है। यह ब्याज केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जायेगा जहां यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो कि ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो संबंधित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर थे। ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले पर शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जायेगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जायेगा। जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी और उसके लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।

न हो सकने के कारणों सहित, उच्चतर अधिकारी को दिया जाना अपेक्षित होगा जो पेंशन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

4. यदि प्रशासनिक कारणों से ग्रेच्युटी का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह बाद किया जाता है तो भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद से निर्धारित दर पर ब्याज दिया जायेगा। यदि यह निर्णीत हो जाता है कि ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है तो इसका भुगतान तुरन्त कर दिया जाए और ब्याज की मद पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही की जाए। ऐसा करने से ब्याज के मद में दी जाने वाली धनराशि में बचत की जा सकेगी। परन्तु यह ब्याज केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाएगा जहाँ यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो कि ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर हो। ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले में शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जाएगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जाएगा। जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी तथा ब्याज के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की वसूली दोषी व्यक्तियों से उसके वेतन के अनुपात में की जाए।

5. प्रायः सेवानिवृत्त कार्मिक उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स के अधीन अपनी पेंशन के एक भाग के राशिकरण की धनराशि को विलम्ब से भुगतान किए जाने पर भी ब्याज की मांग करते हैं। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम के अधीन देय धनराशि को विलम्ब से भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं है क्योंकि पेंशन के एक भाग की राशिकृत मूल्य की स्वीकृति हो जाने पर भी उसके भुगतान की तिथि तक पूर्ण पेंशन का भुगतान होता रहता है तथा भुगतान की तिथि के उपरान्त ही पेंशन कम होती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरुद्ध विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तो उसे उस कार्यवाही के लम्बित रहते पेंशन के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा।

अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तरों में स्पष्ट की गयी स्थिति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।"

अतः सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन मास के उपरान्त उपदान का भुगतान करने की दशा में वह उपदान की धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पाने का हकदार है।

*आर० वीरभद्रम बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार*[1] के मामले में जब श्री वीरभद्रम आन्ध्र प्रदेश सरकार में उपसचिव के पद पर कार्यरत थे तब उनके विरुद्ध दिनांक 20.3.86 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अधीन आपराधिक मामला दर्ज हुआ। दिनांक 12.5.86 को उन्हें निलम्बित कर दिया गया। निलम्बन के दौरान ही वह अधिवर्षिता आयु पूर्ण करके, दिनांक 30.6.88 को, सेवानिवृत्त हो गये। उनके द्वारा अधिकरण में प्रस्तुत की गयी रिट याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 30.9.89 को उन्हें अनंतिम पेंशन देने का आदेश हुआ किन्तु उपदान का भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि उनके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन लम्बित था तथा आन्ध्र प्रदेश पुनरीक्षित पेंशन नियमावली, 1980 में इस आशय का उपबन्ध था कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूर्ण होने एवं उसमें अन्तिम आदेश निर्गत होने तक सरकारी सेवक को उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। जब दिनांक 20.3.98 को श्री वीरभद्रम को आपराधिक आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया तब उन्हें पूर्ण पेंशन, उपदान एवं अन्य परिणामी प्रसुविधाओं का भुगतान कर दिया गया। उसके पश्चात् उन्होंने आपराधिक कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान रोके गये

V. Imp Court Reference

1. (1999) 9 एस०सी०सी० 43.